ई-ऑफिस एफ. सं: डब्ल्यू-11011/10/2015-ओ/ओ जेस (डब्ल्यूएंडए)
सं. डब्ल्यू-11014/06/2009-जल (भाग)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
****

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 21 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- क्षेत्र अधिकारी के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में अधिकारियों में राज्यों का आबंटन

इस संबंध में पिछले सभी आदेशों का रद्द करते हुए क्षेत्र अधिकारियों के संबंध में एतदद्वारा निम्नलिखित आबंटन किया जाता है:

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम व पदनाम**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
1	डॉ दिनेश चंद, अतिरिक्त सलाहकार	उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा
2	श्री राजेश कुमार, निदेशक	राजस्थान
3	श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, निदेशक	मध्य प्रदेश
4	श्री निपुण विनायक, निदेशक	कर्नाटक
5	श्रीमती संध्या सिंह, निदेशक	पंजाब
6	श्रीमती शिवानी दत्त, अपर सचिव	उत्तराखंड
7	श्री डी. राजशेखर, अपर सलाहकार	आंध्र प्रदेश, सभी यूटी
8	डॉ जी. बालासुब्रामण्यन, अपर सलाहकार	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
9	श्री के.एन. रेड्डी, अवर सचिव	सिक्किम
10	श्री ए.के. श्रीवास्तव, अवर सचिव	महाराष्ट्र
11	श्री एस. सान्याल, अवर सचिव	जम्मू और कश्मीर
12	श्री मोहन लाल, अवर सचिव	गुजरात
13	श्री नरेश कुमार, अवर सचिव	छत्तीसगढ़
14	श्री सुनील कुमार, अवर सचिव	हरियाणा
15	श्री सुशील कुमार, अवर सचिव	मणिपुर, गोवा

16	श्री सुधीर कुमार सिंहा, अवर सचिव	हिमाचल प्रदेश
17	श्री सुमित प्रियदर्शी, सहायक सलाहकार	झारखंड
18	श्री जी.आर. जरगर, वरिष्ठ परामर्शदाता	ओडिशा
19	श्रीमती उर्वशी प्रसाद अस्थाना, वरिष्ठ परामर्शदाता	बिहार
20	श्री रामेन्द्र कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता	असम
21	श्री नवीन मोहन सोलन, अपर सलाहकार	केरल
22	डॉ ब्रजेश श्रीवास्तव, परामर्शदाता	तेलंगाना
23	श्री सलीम हैदर जैदी, सहायक परामर्शदाता (आर)	तमिल नाडु
24	श्री जुनैद अहमद, परामर्शदाता, एनआरसी	पश्चिमी बंगाल
25	डॉ साइनी डी.एस., परामर्शदाता	मिजोरम
26	डॉ नीरज तिवारी, परामर्शदाता, एनआरसी	नागालैंड

राज्यों की एसएलएसएससी बैठक में शामिल होने वाले क्षेत्र अधिकारियों के लिए निर्देश:

- क्षेत्र अधिकारी जब भी राज्यों में एसएलएसएससी बैठक के लिए जाएँ, तो वे देखें कि सभी स्कीमों की संस्वीकृति एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही हो।
- एसएलएसएससी में संस्वीकृत होने वाली परियोजनाओं के माध्यम से योजना आयोग और मंत्रालय के अधिदेश का अनुपालन हो। उदाहरण के लिए बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्य हैंड पंपों के लिए अधिक मात्रा में संस्वीकृति दे रहे हैं और पाइप से जलापूर्ति स्कीम पर बल नहीं दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एनआरडीडब्ल्यूपी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अत: एसएलएसएससी की बैठक में इस पर कार्रवाई की जाए।
- सभी अपूर्ण परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, क्योंकि यह राज्यों को राशि जारी करने की अनिवार्य शर्त है। राज्यों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्यों को 10, 5 और 3 वर्षों से लम्बित डब्ल्यूएसएस की संख्या उल्लिखित करनी है जिन्हें पिछले एसएलएसएससी के बाद पूरा किया गया है और शेष परियोजनाओं के पूर्ण होने की अवधि भी दर्शानी है।
- एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों के अनुसार 0.25% और 25-50% तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज को प्राथमिकता दी जाए।
- यह पाया गया है कि राज्य 5% डब्ल्यूक्यू चिन्हित निधियों और डब्ल्यूक्यूएम एंड एस (3%) घटक के लिए राशि नहीं लेते हैं। इस पर राज्य के दौरे में एसएलएसएससी बैठक में चर्चा की जाए। राज्यों को एसएलएसएससी की पिछली बैठक के बाद स्थापित जिला स्तरीय तथा उप-जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या और किए जा रहे जल गुणवत्ता परिक्षणों की प्रगति भी दर्शानी है।

- अनुमोदित डीपीआर के लिए एसएलएसएससी के तुरंत बाद प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाए और मंत्रालय को कवरेज, स्थायित्व, जल गुणवत्ता और सहायक निधि के विषय में अलग से सूचित किया जाए, ताकि परियोजना लागत अधिक न बढ़े।
- राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत और मंत्रालय द्वारा निधियाँ जारी करने के आधार पर तैयार प्रस्ताव तथा इन जलापूर्ति स्कीमों को पूर्ण करने का कार्यक्रम बताएँ। क्षेत्र अधिकारी द्वारा पिछले एसएलएसएससी के बाद पूर्ण सभी डब्ल्यूएसएस और कवर की गई बसावटों की समीक्षा की जाए और उसकी रिपोर्ट संयुक्त सचिव (जल) को प्रस्तुत की जाए।
- राज्य क्षेत्र अधिकारी और मंत्रालय को एसएलएसएससी बैठक की पूर्व सूचना और साथ ही कार्यसूची कम से कम 15 दिन पहले दें।
- एसएलएसएससी में शामिल होने के लिए जब क्षेत्र अधिकारी जाएँ तो गाँव में पेयजल एवं स्वच्छता के निरीक्षण हेतु अपनी इच्छा से कम से कम दो पिछड़े गाँवों का दौरा करें।
- दौरा खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र अधिकारी एसएलएसएससी के निर्णयों और 2 गाँवों की स्थिति के संबंध में नोट प्रस्तुत करें।
- क्षेत्र अधिकारी जल एवं स्वच्छता दोनों का ध्यान रखेंगे। दौरा समाप्त होने पर अपने संबंधित कार्यक्रम प्रमुख को इस बात का संक्षिप्त विवरण दें कि क्या निर्णय लिए गए हैं और कार्यवृत्त पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(राजेश कुमार)
निदशक (जल)

सेवा में

I. सभी क्षेत्र अधिकारी
II. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (प्रधान सचिव/सचिव) (वेबसाइट पर अपलोड के माध्यम से)

प्रति प्रेषित:- सचिव (डीडब्ल्यूएस) के पीपीएस, एएस (एसबीएम) के पीएस, जेएस (डब्ल्यू) के पीएस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) (वेबसाइट तथा ई-मेल पर अपलोड करने हेतु)